प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 494/2007

याचिकाकर्ता - अनमोल सिंह

बनाम

उत्तरवादी - यूको बैंक, पंजीकृत कार्यालय 97, आनंद नगर, रायपुर (छ.ग.)।

.....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितः

याचिकाकर्ता की ओर से श्री जी.एस. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री यू.आर. खोसले, अधिवक्ता।

.....

आदेश

(दिनांक 25 जनवरी, 2007 को पारित)

(1) इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता दिनांक 17.01.2004 (अनुलग्नक पी./6) के समाप्ति आदेश को चुनौती देता है, जिसके अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी अर्थात् महाप्रबंधक (संचालन-I) ने दिनांक 22.02.2003 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दायर अपील को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश द्वारा सेवा से हटाने का दंड अधिरोपित किया गया था, जिसमें सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन और/अथवा भविष्य निधि तथा ग्रेच्युटी, जो सुसंगत समय पर लागू नियमों एवं विनियमों के

अनुसार देय हों, प्रदान किए जाने का प्रावधान था तथा भविष्य के रोजगार हेतु अयोग्यता नहीं लगाई गई थी।

(2) निर्विवाद तथ्य संक्षेप में यह हैं कि याचिकाकर्ता, जो उत्तरवादी बैंक की मस्तूरी शाखा के नकद अनुभाग में मुख्य कैशियर के पद पर कार्यरत था, को दिनांक 27.01.2003 को निम्नलिखित आरोपों के संबंध में अभियोग-पत्र प्रदान किया गया:

(i) बैंक के हित के प्रतिकूल कार्य करना, जो दिनांक 10.04.2002 के समझौते की धारा 5(ज) के अंतर्गत गंभीर कदाचार है।

(ii) गंभीर उपेक्षा, जिसके कारण बैंक को भारी हानि हुई, जो उक्त समझौते की धारा 5(ज) के अंतर्गत गंभीर कदाचार है।

आवर्ती जमा खातों के लेजर फोलियो में फर्जी जमा प्रविष्टियाँ करने के कई आरोप लगाए गए, जिससे बैंक के अभिलेखों में हेरफेर कर खाताधारकों के धन के गबन को छिपाने का प्रयास किया गया। यह भी आरोप था कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में की गई विभिन्न क्रियाओं और चूकों के कारण 9,000/- रुपये की नकद कमी हुई, जिससे बैंक को आर्थिक क्षति पहुँची।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) याचिकाकर्ता ने वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की, किन्तु उसने लिखित उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। उसने अधिकारियों के समक्ष यह निवेदन किया कि उसकी त्रुटियों (कृत्य एवं लोप) के लिए उसे क्षमा किया जाए और उसने कथित रूप से गबन की गई पूरी राशि जमा करने की इच्छा व्यक्त की। उत्तर प्रस्तुत न किए जाने के कारण विभागीय जांच दिनांक 31.07.2003 (अनुलग्नक पी./3) के आदेश से प्रारंभ की गई। अनुशासनात्मक प्राधिकारी अर्थात् सहायक महाप्रबंधक ने उपर्युक्तानुसार दंडादेश पारित किया। इसके पश्चात याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा अंततः दिनांक 20.09.2003 (अनुलग्नक पी./5) के आदेश द्वारा उक्त दंडादेश की पुष्टि कर दी गई।

(4) दिनांक 20.09.2003 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी अर्थात् महाप्रबंधक (संचालन-I) के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय प्राधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 17.01.2004 (अनुलग्नक पी./6) द्वारा सहायक महाप्रबंधक द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए अपील को निरस्त कर दिया।

(5) उक्त आदेश से आक्रोशित होकर याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को इस आधार पर चुनौती नहीं दी कि जांच प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी या निष्कर्ष बिना साक्ष्य के आधारित थे, बल्कि इस आधार पर चुनौती दी कि वह अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, अतः उससे समान स्तर का कार्य प्रदर्शन अपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को स्वयं में सुधार का अवसर प्रदान करते हुए सेवा से हटाने के आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने इसके अतिरिक्त कोई अन्य आधार प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय से अनुतोष प्राप्त की जा सके।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(6) याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्क स्वीकार्य नहीं है। किसी कर्मचारी के साथ समुदाय, जाति, धर्म, लिंग अथवा निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जहाँ तक शासकीय कर्तव्यों का प्रश्न है, कर्मचारियों के आचरण एवं कर्तव्यों को नियंत्रित करने वाले नियम एवं विनियम भी ऐसे किसी भेदभाव की अनुमति नहीं देते। एक कर्मचारी को दूसरे कर्मचारी से इस आधार पर अलग मानना असंवैधानिक एवं लोकनीति के विरुद्ध हो सकता है। अतः यह न्यायालय आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, विशेषकर जब स्वयं याचिकाकर्ता ने भी यह नहीं कहा है कि आदेश अन्य किसी वैध आधार जैसे त्रुटिपूर्णता, अवैधता, असंवैधानिकता या साक्ष्य के अभाव आदि से ग्रस्त है।

(7) उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में तथा हाल ही में **भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम रमेश दिनकर पुंडे**[1] प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि कर्मचारी एक

1 (2006) 7 SCC 212

विश्वशनीय पद धारण करता है, जहाँ ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा उसकी कार्यप्रणाली के मूल तत्व हैं। ऐसे मामलों में उदार दृष्टिकोण अपनाना उचित नहीं है। बैंकिंग कार्य में प्रत्येक कर्मचारी द्वारा पूर्ण निष्ठा, परिश्रम, सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखना आवश्यक है। इसी कारण, जब कोई बैंक कर्मचारी अपने निजी हित के लिए तथा बैंक एवं जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध कदाचार करता है, तो उसके साथ कठोरता से व्यवहार किया जाना चाहिए और उसे नरमी से नहीं देखा जाना चाहिए।

(8) यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्र निर्णय की प्रक्रिया की त्रुटियों तक सीमित होता है, न कि स्वयं निर्णय के गुण-दोष तक। वर्तमान मामले में ऐसा कोई तत्व नहीं है—न तो तर्कहीनता, न अवैधता और न ही प्रक्रिया संबंधी त्रुटि—जिसके आधार पर जांच अधिकारी के निष्कर्ष या अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दिए गए दंड में हस्तक्षेप किया जाए।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(9) उपर्युक्त वर्णित कारणों के परिणामस्वरूप, यह रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है तथा इसे संक्षेप में खारिज किया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**